केशव मार्ग गुरु राम दास नगर, दिल्ली में डी० डी० ए० की भूमि पर अवैध कब्जा

9528. **श्री कुवंर राम :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केशव मार्ग गुरू रामदास नगर, दिल्ली में डी० डी० ए० के अनेक प्लाटों पर समाज विरोधी तत्वों ने अवैध कब्जा कर रखा है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उनको शिकायतें प्राप्त हुई थी;

(ग) क्या अब इन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है; और

(घ) इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई जांच करवाई जाएगी और क्या इन अवैध कब्जों को हटाया जाएगा ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि खसरा नं० 53/6 में दर्ज ग्राम खुरेजी खास में अवस्थित 4 बीघे 12 विस्वे माप की भूमि दिल्ली के सुनियोजित विकासार्थ अधिगृहीत की गई थी तथा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 22(1) के अन्तर्गत 17.4.72 को जारी अधिसूचना द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंप दी गई थी तथा यह कि भूमि के एक भाग पर छः दुकानों का अनधिकृत निर्माण किया गया है।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अनधिकृत निर्माण का पता चला है तथा भूमि खाली कराने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

भूमि विकास बैंकों के माध्यम से दिए गए ऋणों की राशि

9529. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में भूमि विकास बैंकों के माध्यम से 1981-82 के दौरान कितना ऋण दिया गया है और उस अवधि के लिए कितना ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था; और

(ख) भूमि विकास बैंकों के माध्यम से दिए गए ऋणों को निर्धारित समय में वापस न करने के कारण क्या हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) सहकारी वर्ष 1981-82 के दौरान भूमि विकास बैंकों द्वारा ऋण देने के लक्ष्य, संवितरित ऋण तथा वसूल की गई राशि से संबंधित राज्यवार जानकारी को दर्शाने वाला विवरण (अनुबन्ध) संलग्न है।

1981-82 के दौरान भूमि विकास बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की किस्तों की अदायगी 1982 तथा उसके बाद ही देय हुई है। 1981-82 के दौरान कुल मांग में चालू देय राशि तथा पिछली अतिदेय राशि शामिल हैं। प्राथमिक भूमि विकास बैंकों/राज्य भूमि विकास बैंकों की शाखाओं से कम से कम 75 प्रतिशत की वसूली प्राप्त करने की आशा की जाती है ताकि वे अप्रतिबन्धित ऋण देने के लिए पात्र हो सकें। जो प्राथमिक भूमि विकास बैंक/शाखाएं, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ हैं, वे प्रतिबन्धित आधार पर ऋण प्रदान कर सकती हैं जो उनकी वसूली सम्बन्धी कार्य निष्पादन पर निर्भर करता है। 1981-82 के दौरान हरियाणा, केरल तथा पंजाब में भूमि विकास बैंक अप्रतिबंधित ऋण देने के पात्र हो गए थे। अन्य राज्यों में अति-देय के प्रमुख कारण कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को नुकसान होना अथवा कृषि उत्पाद से अपर्याप्त आमदनी होना है। इसके बावजूद राज्य सरकारों ने वसूली अभियान को तेज करने, पुराने अतिदेय के लिए अवरुद्ध खातों के सृजन, शीघ्र भुग-तान के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था, उस नीलामशुदा भूमि, जिसके लिए कोई बोली लगाने वाला नहीं है, की खरीद के लिए राज्य एजेंसियों की स्थापना करने तथा जानबूझकर भुगतान न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने आदि जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से वसूली कार्य में सुधार के लिए आवश्यक उपाय किए हैं।